महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय,अजमेर

(बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का संघटक महाविद्यालय)

WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER

(A CONSTITUENT COLLEGE OF BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY, BIKANER)

Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer - 305002

website: www.gweca.ac.in | Ph. No.: 0145-2695535

email: establishment@gweca.ac.in | Fax No.:0145-2695102

क्रमांकः म.अ.म.अ / संस्थापन / 2026–27 / 895 | दिनांकः 30/06/2026

कार्यालय आदेश

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर से प्राप्त कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ (3)/लेखा / बीटीयू / विविध / 2026–27 / दिनांकः 26.06.2026 (संलग्न) की अनुपालना मे समस्त कार्मिको के समय समय पर किये गये वेतन निर्धारणों की पुनः जॉच के सम्बन्ध मे निम्नलिखित कमेटी का गठन किया जाता है:–

क्र.स.	कार्मिक का नाम	पदनाम	विवरण
01.	प्रो0 प्रकृति त्रिवेदी	कार्यालयाध्यक्ष	अध्यक्ष
02. (a)	श्री आसिफ सईद खॉन	सहायक आचार्य, प्रभारी संकाय अधिकारी, संस्थापन शाखा, (नॉन टीचिंग हेतु)	टीचिंग सदस्य
02. (b)	श्री अरविन्द शर्मा	सहायक आचार्य, प्रभारी संकाय अधिकारी, संस्थापन शाखा (टीचिंग हेतु)	टीचिंग सदस्य
03.	श्रीमती कविता शर्मा	सहायक कुलसचिव, संस्थापन शाखा	नॉन टीचिंग सदस्य
04.	डॉ. रविन्द्र सिंह चौहान	सहायक आचार्य, प्रभारी संकाय लेखा अधिकारी	टीचिंग सदस्य
05.	श्री राकेश अग्रवाल	कनिष्ठ लेखाकार	नॉन टीचिंग सदस्य
06.	डॉ. गौरव भारद्वाज	सहायक आचार्य	विज्ञ सदस्य (पूर्व कुलसचिव)

श्री विवेक अग्रवाल, कनिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा व श्री विक्रान्त कुमार, कनिष्ठ सहायक, लेखा शाखा उक्त कार्य हेतु सहयोग प्रदान करेगें।

P Trivedi 30/6/2026

(प्राचार्या)

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान वित्त नियन्त्रक, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर को सूचनार्थ
2. आशुलिपिक – प्राचार्या महोदया को सूचनार्थ
3. I/c कुलसचिव को सूचनार्थ
4. प्रभारी संकाय अधिकारी, संस्थापन शाखा को सूचनार्थ
5. सम्बन्धित कार्मिको को पालनार्थ
6. प्रभारी अधिकारी– बेव साईट
7. निजी पत्रावली, सम्बन्धित सदस्य
8. रक्षित पत्रावली

30/6/26

(I/c कुलसचिव)

क्रमांकः– एफ(3)/लेखा/ बीटीयू/विविध/2026–27/ **दिनांकः–**

कार्यालय आदेश

वित्त(नियम) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक प.(9)(14)वित्त/नियम/पार्ट दिनांक 05.05.2026 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के क्रम में समस्त संघटक महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों(शैक्षणिक/अशैक्षणिक/मंत्रालयिक समस्त कार्मिकों) के समय–समय पर हुए पुनरीक्षित वेतनमान, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, ए.सी.पी एवं एम.ए.सी.पी., प्रथम नियुक्ति के समय वेतन निर्धारण, प्रोबेशन/प्रोबेशनर ट्रेनी की अवधि के दौरान एवं सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात वेतन निर्धारण, CAS(Carrier Advancement Scheme) UGC/ICAR/AICTE राज्य सरकार स्वीकृत एंव अनुमोदित वेतनमानों आदि के अन्तर्गत किए गए वेतन निर्धारण की सेवा अभिलेखों के आधार पर नियमों के परिपेक्ष्य में गहनता से समीक्षा व जांच सुनिश्चित करें। यदि कही त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अनियमित भुगतान हो रहा है, तो उसे तत्काल संशोधित करें ताकि अधिक भुगतान की स्थिति को रोका जा सके। इस क्रम में, माह जुलाई 2026 के वेतन बिलों के साथ यह प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य है कि संबंधित कार्मिकों के वेतन निर्धारण की पूर्ण जांच नियमानुसार कर ली गई है। इसके अभाव में कार्मिक का वेतन भुगतान संभव नहीं हो पायेगा।

अतः निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः–

1. कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर 6 सदस्यों की टीम गठित करेगा जो कि सेवा–पुस्तिका अभिलेखों का परीक्षण करेगी।
   1. कार्यालयाध्यक्ष/प्राचार्य – अध्यक्ष
   2. संस्थापन प्रभारी(टीचिंग सदस्य) – सदस्य
   3. संस्थापन कार्मिक(नॉनटीचिंग सदस्य) – सदस्य
   4. लेखा शाखा प्रभारी(टीचिंग सदस्य) – लेखा सदस्य
   5. लेखाकर्मी(नॉनटीचिंग सदस्य) – लेखा सदस्य
   6. एक विज्ञ सदस्य जो पूर्व में संस्थापन/लेखा शाखा/स्क्रीनिंग एंड इव्लयुऐशन कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य किया हो या प्राचार्य/डीडीओ/कुलसचिव/उपकुलसचिव के पद का अनुभव हो।
2. ECB, ECA, WECA,UCET उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करेंगें
3. विश्वविद्यालय के कार्मिकों(प्रतिनियुक्त कार्मिकों सहित) के लिए जिनके सेवा अभिलेख/Service Book Record कुलसचिव कार्यालय में संधारित है।
   1. कुलसचिव – अध्यक्ष
   2. वित्त नियंत्रक – सदस्य
   3. सहायक लेखाधिकारी प्रथम – सदस्य
   4. संस्थापन प्रभारी/कार्मिक – सदस्य
   5. सूचना सहायक – सदस्य

गठित कमेटी कार्मिकवार सेवा अभिलेखों का परीक्षण करेगी इस हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Prasad
Designation : Comptroller Finance
Date: 2026.06.26 11:42:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22998055
M e-Sign

संस्थापन प्रभारी, संस्थापन शाखा सेवा पुस्तिका को update करें ताकि समिति के समक्ष परीक्षणार्थ प्रस्तुत की जा सके

वित्त(नियम) विभाग के परिपत्र के अनुरूप कार्मिकों के वेतन निर्धारण की गहनता से जांच में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जावेः–

1. माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में किसी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन निर्धारण किया गया है तो माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में नो अपील का आदेश अनिवार्य है।
2. माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में किसी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन स्थिरीकरण में वेतन विकल्प तिथि में विभिन्न वेतनमानों में परिवर्तन किया गया है तो आदेश की प्रति का मिलान किया जाना।
3. समस्त प्रकार की ऑडिट AG/LFAD/विशेष जांच/आंतरिक जांच में गठित आक्षेप एवं आक्षेपो से कवर्ड होने की दशा मे, जिसमे अनियमित वेतनमान/अधिक भुगतान/वसूली/अनियमित वेतन नियतीकरण तथा वसूली की अनुच्छेद/पैरा है तथा ऑडिट विभाग को टिप्पणी भिजवाने के बाद भी निरस्त नहीं हुआ है तो तदनुसार शुद्ध वेतन नियतीकरण किया जावे।
4. किसी अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति गत किसी वित्तीय वर्ष से दी गई है तो जिस पद पर उसकी पदोन्नति की गई है उस पद के रिक्त होने की तिथि से पदोन्नति से पदभार ग्रहण करने की तिथि तक काल्पनिक तथा पदभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ दिया जावें। यदि **किसी कैडर के सेवा नियम में अन्य प्रावधान** मौजूद है तो नियमों की प्रति सहित जांच कर इसका उल्लेख विशेष विवरण के रूप में किया जावेगा।
5. कार्मिक की जिस पद के विरूद्ध पदोन्नति हुई है उसके रिक्त होने की तिथि ज्ञात नही है तो जिस वित्तीय वर्ष के रिक्त पदों के विरूद्ध उसकी पदोन्नति उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि 31 मार्च को उसका काल्पनिक वेतन निर्धारण किया जावेगा तथा संबंधित वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पदोन्नति पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्व की तिथि तक काल्पनिक लाभ तथा पदोन्नति पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ दिया जायेगा।
6. किसी कार्मिक को दण्ड दिया गया है तो उसके वेतन निर्धारण में उस दण्डादेश को लागू कर दिया गया है, सुनिश्चित किया जावेगा।
7. RCS(RP) Rules,2008 नियम–14 के अनुसार 6 माह एवं इससे अधिक की सेवाएं Running pay band and Grade Pay में पूर्ण नही हुई है, उस वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति की गयी है तो उनको नियमानुसार संशोधित कराया जावें।
8. कार्मिक को 09/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय एसीपी/एमएसीपी परिलाभ हेतु **विगत 7/9 वर्षो की** संतोषजनक सेवा की गणना, एपीएआर एवं दंड के प्रभाव के आधार पर निम्न प्रकार की जाएगीः– यदि किसी कार्मिक की एसीपी देय तिथि 09.12.2015 है, तो विगत सात वर्षों के एपीआर गणना हेतु वर्ष 2008–09 से 2014–15 तक की अवधि पर विचार किया जाएगा। साथ ही, दण्ड के संबंध में दिनांक 01.04.2008 से 09.12.2015 तक की अवधि के दौरान अधिरोपित दंडों के प्रभाव को सम्मिलित किया जाएगा एवं तदनुसार ही एमएसीपी हेतु गत 9 वर्षों की गणना की जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Prasad
Designation : Comptroller Finance
Date: 2026.06.26 11:42:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22998055
M e-Sign

9. कार्मिक के गत 7/9 वर्षों में किसी वर्ष या वर्षों की एपीएआर की अनुपलब्धता के संबंध में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07.06.2011, 04.11.2016, 25.03.2026 एवं 05.05.2026 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करावें।

10. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.09.2025 के द्वारा स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया है कि राज्य/PSU/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाएं इत्यादि से सीधी भर्ती होकर आए कार्मिकों को राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं माना जा सकता। उक्त परिपत्र के अनुसार इन निकायों के कार्मिकों का वेतन राज्य की संचित निधि (consolidated fund) से नहीं दिया जाता, अतः उन्हें RSR नियम 24 एवं 26 के तहत वेतन संरक्षण का लाभ देय नही हैं। इसी आदेश में अन्यत्र से PSU/स्वायत्तशासी संस्था में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिये किया जायेगा

11. आईपीआर के अभाव में संबंधित वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि देय नही होगी।

12. राज्य सरकार द्वारा सीसीए नियम–16 के तहत दिये गए दण्डों का आगामी एसीपी/एमएसीपी पर पारिणामिक प्रभाव अभी तक समाप्त नही किया गया है, अतः जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जावें कि कार्मिक को दिये गये दण्ड सीसीए नियम–16 के है अथवा नियम 17 के तहत।

13. दिनांक 20.01.2006 को या इसके पश्चात् अनुकम्पात्मक नियुक्ति के माध्यम से नियुक्त कार्मिक को भी परिवीक्षा अवधि के दौरान केवल नियत पारिश्रमिक ही देय है, परीवीक्षाकाल के कोई काल्पनिक वेतनवृद्धि लाभ देय नही हैं, अतः वेतन तदनुसार संशोधित करावें।

14. कार्मिक के वेतन निर्धारण की जांच के समय राजस्थान सेवा नियम–1951, पुनरीक्षित वेतनमान नियमों (pay commission) तथा चयन ग्रेड, एसीपी एवं एमएसीपी के प्रावधानो का सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाए। साथ ही, उक्त प्रकरणों पर तीसरी संतान के प्रभाव के संबंध में वित्त एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी समस्त अद्यतन परिपत्रों एवं दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

15. समिति AICTE द्वारा लागू/जारी रेगुलेशन एवं उस रेगुलेशन के राज्य सरकार द्वारा लागू/स्वीकृति के साथ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकरण/लागू किये जाने का नियमानुसार परीक्षण किया जायें

16. पदों की सक्षम स्तरीय स्वीकृति की जांच की जावे।

17. स्थायीकरण के आदेशों का भलीभांति परीक्षण किया जावे।

18. Pay Protection का नियमानुसार परीक्षण किया जावे।

19. 20 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त प्रोबेशनर/प्रोबेनेशर ट्रेनी को परीवीक्षाकाल में उपार्जित अवकाशों का अर्जन नही होता है अतः यदि अवकाश लेखों में PL जोड़ी गई है तो तुरन्त प्रभाव से माईन्स की जावे।

20. उच्च अध्ययन से संबंधित प्रकरणों के लिए नियमानुसार सक्षम स्तरीय स्वीकृति एवम तत्समय विद्यमान एवम प्रवृत नियमों का परीक्षण किया जावे QIP, Ph.d, M.Tech etc.

21. AICTE/राज्यसरकार के नियमानुसार निर्धारित योग्यताओं का होना, निर्धारित अवधि में योग्यता विशेष का अर्जन किए जाने का परीक्षण किया जावें।यथा 5/7 वर्ष में M.Tech/Ph.d.

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Prasad
Designation : Comptroller Finance
Date: 2026.06.26 11:42:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22998055

M e-Sign

22. यदि किसी विषय/नियम के संबंध में विभागीय परीक्षण या जांच लम्बित है, जिसका निर्णय अभी तक नही हुआ है। ऐसे प्रकरणो को कुलसचिव को भिजवाते हुए विधिक परीक्षण उपरान्त कुलगुरू को समुचित निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

23. CAS के लिए अनुभव/सेवाकाल की गणना का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाए।

24. अनुकम्पा नियुक्त कार्मिकों के विषय में कम्पयूटर योग्यता एवम टंकण परीक्षा/Typing Test का परीक्षण किया जाये।

25. उपरोक्त बिंदुओं सहित प्रत्येक सेवा संवंर्ग के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों के परिपेक्ष्य में वेतन निर्धारण की जांच कर जांच उपरान्त प्रत्येक सेवापुस्तिका में निम्नानुसार मुहर लगायी जावेः–

<table>
<tr><td colspan="3"><u>वेतन निर्धारण सत्यापन प्रमाण–पत्र</u>

वित्त(नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.(9)(14)वित्त/नियम/पार्ट दिनांक 05.05.2026 के क्रम में श्री ....पद ....के दिनांक 30.06.2026 तक के समस्त वेतन निर्धारणों(पुनरीक्षित वेतनमान/पदोन्नति/वेतनवृद्धि/CAS/ACP/MACP आदि)की सेवा अभिलेखों के आधार पर जांच की गई, जो नियमानुसार सही पाए गए है।</td></tr>
<tr><td>हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम व दिनांक)
कार्यालयाध्यक्ष</td><td>हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम व दिनांक)
प्रभारी लेखा शाखा</td><td>हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम व दिनांक)
प्रभारी संस्थापन शाखा</td></tr>
<tr><td>हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम व दिनांक)
लेखाकमी लेखाशाखा</td><td>हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम व दिनांक)
सदस्य संस्थापन शाखा</td><td>हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम व दिनांक)
सदस्य</td></tr>
</table>

ङ्मस

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर सभी कार्यालयाध्यक्ष निम्नानुसार सूचना कुलसचिव, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रेषित करेंगें एवं प्रति निजी सचिव कुलगुरू एवं वित्त नियंत्रक को दी जायेगी। उक्त क्रम में उच्च स्तर/विश्वविद्यालय स्तर से पृथक से किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकत्ता नहीं है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि रिचैकिंग ऑफ पे फिक्सेशन सावधानीपूर्वक किया जावे तथापि पे फिक्सेशन के संबंध में भविष्य में माननीय न्यायालय के आदेश/राज्य सरकार के आदेश/ऑडिट परीक्षण या विश्वविद्यालय को कोई त्रुटि संज्ञान में आने पर या पुनर्परीक्षण किये जाने पर तदनुसार संशोध्य होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Prasad
Designation : Comptroller Finance
Date: 2026.06.26 11:42:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22998055
M e-Sign

क्र.स.	कुल कार्मिक संख्या (सक्षम स्तरीय पदो की स्वीकृति के अनुसार)				कार्मिक संख्या जिनका सत्यापन किया जा चुका है। = ( )		कार्मिको की संख्या जिनका सत्यापन नहीं किया गया है। = ( )	
	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	नाम	पदनाम	नाम	पदनाम

कुलसचिव
बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय,
बीकानेर

क्रमांक **दिनांकः—**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थः—

1. निजी सचिव, कुलगुरू, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. वित्त नियंत्रक, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3- रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Prasad
Designation : Comptroller Finance
Date: 2026.06.26 11:42:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22998055
M e-Sign